

नाम - राहुल गोयल  
प्रश्नपत्र - II (इकाई - 1, 2, 3)  
दिनांक - 14-02-2022

83  
150

- 1. A संविधान सभा की ~~कुछ~~ समितियों में ओ एफ ब्रेस गैलरी समिति थी। जिसकी समूह प्रथा नाथ बोन थी। (2/2)
  - 1. B आनंदपुर साहिब संकल्प वर्ष 1973 में पारित हुआ था। इसके तहत पंजाब को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाना था।
  - 1. C भारत में जनहित याचिका के जन्म न्यायमूर्ति श्री पी एन भगवती को कुरा जाता है। (2/2)
  - 1. D द्वितीय पक्ष भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता पूर्व के राजपरिवारों को दी जाने वाली विशेष सुविधा थी जिसे 1970 में 1971 के संविधान संशोधन से समाप्त किया गया।
  - 1. E अनुच्छेद 43A संविधान में 42 वे संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया जिसके तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना शामिल है।
  - 1. F NSCN का पूर्ण रूप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलैण्ड है। यह एक अलगाववादी संगठन है, जो भारत की मांग कर रहे हैं।
  - 1. G राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में स्थापित सरकारी अलाहकारी निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
  - 1. H एनजीओ दर्पण 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा स्वतंत्र संगठनों को एक यूनिट आईडी प्रदान कर एक संघ पर लाने का लक्ष्य है।
- यूएसपी प्रश्नों के उत्तरों को तब तक न दें।  
आपके उत्तर छापी नहीं करेंगे।

1 I अटल टिकरिंग लेंस केन्द्र सरकार के अटल इन्वोकेशन मिशन (AIM) की पहल है जिसमें हाई स्कूल के छात्रों में एक अभिनव मानसिकता का विकास किया जायेगा। (1/2)

1 J रोज बैक एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ व सांख्यिकीविद हैं।

1 K विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (जेआर) 1973, विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण व सदुपयोग करने के लिये लाया गया था। इसे 1999 में जेआर से प्रतिस्थापित कर दिया। (2/2)

1 L जयंती पटनायक पूर्व सांसद व राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष (1992-95) थीं। (3)

1 M वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट टैल (VVPAT) मतदान को उसके मत की पुष्टि कर मतदान प्रणाली को मजबूत बनाता है। (2/2)

1 N युगन समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने हेतु किया। इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। (2/2)

1 O जिला उपभोक्ता फोरम का गठन राज्य सरकार करती है यह एक करोड़ तक के मामले सुन सकता है। (1/2)  
1988 म

2 A सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत है क्योंकि यहाँ-

→ सभी नियम व कार्यवाही लिखित होते हैं और उन्हें साक्ष्य रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

इस परामर्श के अन्तर्गत चर्चा करना

→ अधीनस्थ न्यायालय इसके नियमों को साक्ष्य रूप में मानती है।

→ और विधायिका व कार्यपालिका भी नियम के रूप में मानती है।

→ न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड दे सकता है

→ संविधान का अनुच्छेद 129 उसे अभिलेख न्यायालय मानता है।

2 B लोक अदालत को सीपीसी, 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो निम्न है -

→ किसी जवाह को समन भोजना व शपथ पर उसकी समीक्षा किसी दस्तावेज को प्राप्त व प्रस्तुत करने का अधिकार।

32

→ शपथ पत्रों पर साक्ष्यों की शक्ति।

→ वे समस्त शक्तियाँ जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं।

→ लोक अदालत में होने वाली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत निर्धारित नियमों के मुताबिक अदालती कार्यवाही माना जाएगा।

2 C उद्देश्य संकल्प पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा मार्च 1949 को पाकिस्तानी रियासत व हुकुमत के नीचे निर्देशक के रूप में पारित किया गया। इसके अनुसार पाकिस्तानी संविधान का आधार इस्लामी लोकतंत्र व सिद्धान्त होगा।

33

दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय संविधान सभा में रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसमें संघसंतकों के दार्मिक, सामाजिक व अन्य वैध अधिकारों की रक्षा की जात करी गई।

2 D

15

भारत के अनुच्छेद 300A के अन्तर्गत

संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44 वे संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44 वे संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद -31 के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300(A) के अन्तर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। जब यह मौलिक अधिकार था तब यह देश के विकास (भूमि-अधिग्रहण) में बाधक था।

भारत सत्ता द्वारा भूमि पुनर्बांध सामूहिक धारा

2 E

35

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है जिन्हें आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा / विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना संसद, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। यह चुनाव की तन्त्र घोषित होने से चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। इस दौरान सरकार कोई नया निर्माण कार्य या लोकलभावन नीति नहीं ला सकती। इसे और यूएन-क्रेडल को बनाने हेतु चुनाव आयोग ने C-VIGIL एपलॉन्च किया।

2 F

52

स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल - हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी झरोके से संबंधित एक भू-राजनीतिक सिद्धान्त है जो चीनी मुख्य भूमि से सुडान पर्यंत तक फैला हुआ है। वर्ष 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा शुरू की और वह अपने महत्वकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में श्री लंका, बांग्लादेश, अफ्रीका के पूर्वी तट आदि क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा में निवेश कर रहा है। ये गतिविधियाँ चीन की भारत को घेरने से संबंधित हैं, जिसे "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल" कहा जाता है।

2. [B] हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया है कि वर्ष 1992 में नों न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आरक्षण की 50% सीमा (इंडा साएनी निर्णय) के निर्णय को बाद में हुए संवैधानिक संशोधनों तथा सामाजिक परिवर्तनों के कारण संशोधित किया जाना चाहिए। कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, म.प्र. में ओबीसी आरक्षण, राजस्थान आदि राज्यों में आरक्षण की मांग 50% की सीमा का उल्लंघन कर रही है। 103 वाँ संविधान संशोधन में (EWS) को 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

2. [H] भारतीय संविधान में 73 वें संविधान संशोधन, 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें महिलाओं 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, कई राज्यों जैसे बिहार, म.प्र. आदि में बद सीमा 50% है। इससे महिलाओं का राजनीतिक सक्रियकरण तो हुआ है परन्तु अपेक्षानुसार नहीं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अशिक्षित, अधिकारों के प्रति गैर-जागरूक, वैशेष्यकार, आर्थिक रूप से कमजोर हैं अतः अन्य महिलाओं के वास्तविक सक्रियकरण शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना कर किया जा सकता है।

2. [C] भारत में निर्णय प्रक्रिया में सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को जोड़ने या इनसे सुझाव लेने की दर बढ़ती जा रही है जो एक अच्छा संकेत है। भारत में लगभग 140 करोड़ सोशल मीडिया यूजर हैं। वर्तमान में सरकार कई मामलों जैसे पद्म प्रशस्ति, खजूर आदि के संबंध में नागरिकों को सुझाव माँगे। भारत में लगभग 62 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। सरकार कामीठा जैसे मे ब्राउज़र पहचानकर इसे और बढ़ाकर निर्णय प्रक्रिया अधिक नागरिकों को शामिल कर निर्णय को और सार्विक बनाया जा सकता है।

2. 3

स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह हैं जो स्वेच्छा से किसी विशेष कार्य के लिये बनाया गया एक छोटा समूह है। इसमें 10-20 सदस्य हो सकते हैं।

ये सदस्य वृत्त तर्क व बशक्तिकरण के उपकरणों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में आगीदारी करते हैं।

इसका उद्देश्य उद्यमों की स्थापना, लघु बचत को वादावा देना, गरीबी उन्मूलन, जातिगत विद्यमता दूर करना, महिलासशक्तिकरण आदि होते हैं।

3A

बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के साथ स्वयं को समायोजित करने के लिए भारत का संविधान इसके संशोधन का प्रावधान करता है। संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसकी मालोचना निम्न भाषाओं पर कर सकते हैं -

- संविधान में संशोधन प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति संसद के पास है। राज्य विधिका एक मामले को छोड़कर (राज्य विधानपरिषदों के निर्माण व समाप्ति का संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करना) संविधान में संशोधन के लिए कोई विशेष प्रावधान प्रस्तुत नहीं कर सकती है।
- संविधान के मुख्य भागों में अकेले संसद द्वारा यहाँ विशेष बहुमत से या आधारात बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। केवल कुछ ही महत्वपूर्ण मामलों में राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है जो की आधे राष्ट्रपति
- संविधान का लक्ष्य सीमा जो निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्य विधानों को इसे प्रस्तुत किये गये संशोधन की प्रस्ताव करना चाहिये या अस्वीकार।
- संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने पर मतिभेद होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- संशोधन की प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया के समान है। विशेष बहुमत की छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयकों को संसद द्वारा सामान्य विधेयकों के समान इस समान विधेयकों की तरह ही पारित करना होता है।

8

संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बहुत ही स्थूल हैं। इसलिये वे मामलों को -याचपालिका तक ले जाने की व्यापक गुंजाइश प्रदान करते हैं। इन दोषों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रक्रिया सरल और आसान साबित हुई है और समाज की बदलती जरूरतों व परिस्थितियों को पूरा करने में सफल रही है।

न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति हैं जो केन्द्र और राज्य सरकारों पर लागू होती हैं। परीक्षणोपरान्त यदि पाया गया कि उनसे संविधान का उल्लंघन होता है तो इन्हें सर्वोच्च, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुद्दों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना।

वर्ष 2014 में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति नियुक्ति प्रक्रिया के व्यापक तथा समग्र बनाने के लिए तथा न्यायपालिका की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु संसद ने एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करने के अर्थ में 99 वे वा संविधान संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया।

इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बराबर का अधिकार देना है। इससे न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप का मार्ग अवरुद्ध हो गया जिससे न्याय व्यवस्था सम्भावित हो सकती थी तथा यह अनुच्छेद - 50 में वर्णित कार्यपालिका से न्यायपालिका के तत्परकरण की भावना के अनुच्छेद नहीं हैं। इसमें न्यायपालिका कार्यपालिका के अस्तित्व में आ सकती है।

परिणाम स्वरूप 5 जनवरी 2015 को सर्वोच्च न्यायालय में पाठिल याचिका के में इस कानून को निरस्त करने की मांग की गई। न्यायमूर्ति जगदीश केंहर की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने अक्टूबर 2015 को परिष्कारित निर्णय देते हुए 99 वे वा संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा कोलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया।



3/2

भारतीय समाज अपनी छद्मता और रचना में अत्यंत विविध है। इसलिए भारत में मतदान व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जिनमें जाति व धर्म सर्वप्रमुख हैं -  
जाति - जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जातियों का राजनीतिककरण तथा राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। टजनी चौधरी के अनुसार "भारतीय राजनीतिक जातिवादी है तथा जाति राजनीतिक है।" इसका उदाहरण वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के चुनाव में देखा जा सकता है -

यही कारण है कि यहाँ आजवा मंत्र, सखा दोनो ही छोटे फलों से गठबंधन पर जोर देती हैं। यहाँ पहले नंबर पर ओबीसी है जो 42 से 45 फीसदी है, दलित 21-22% सघर्ष 18-20% है। सभी पार्टियाँ अपना मेनीफेस्टो इन्हीं जातिगत समीकरणों के आधार पर करती हैं। यूपी में अनुसूचित जाति व जनजाति की 86 सीटें आरक्षित हैं। जिन्हें कोई पार्टी गठाना नहीं चाहेगी। इसलिए वसपा पलित-ब्राह्मण को एक साथ लाने के वादे पर चुनाव लड़ रही है।

धर्म → धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो मतदान व्यवस्था को प्रभावित करता है। अनेक सांख्यिक पार्टियों के होने से धर्म का भी राजनीतिकरण हुआ है। जैसे वर्तमान UP चुनाव में बीजेपी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कोमिडोर के मुद्दे पर हिंदू की भावनाओं को अपने पक्ष में करना चाहती है तो वहीं वसपा ने बड़ी मात्रा में मुस्लिम उम्मीदवार 3 चुनावी मैदान में उतारे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं यहाँ 3 जिलों में तो मुस्लिम 55 फीसदी के आसपास हैं। यहाँ अम्मा AIMIM का प्रभाव अधिक है। उध. में 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं।

